

अतः आकस्मिकता निधि अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 28

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट घटक हेतु राज्यांश राशि के रूप में आकस्मिकता निधि से राशि ₹100 प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 29

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत आई.ई.सी. एवं बिहेवियर चेंज घटक हेतु राज्यांश राशि के रूप में आकस्मिकता निधि से राशि ₹100 प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 30

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत कैपिसिटी बिल्डिंग, स्किल डेव्हलपमेंट एवं नॉलेज मैनेजमेंट घटक हेतु राज्यांश राशि के रूप में आकस्मिकता निधि से राशि ₹100 प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्यशीर्ष 4217

मद क्रमांक 31

अमृत मिशन अंतर्गत पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु केन्द्रांश राशि के रूप में ₹100 प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। आवश्यक व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 32

अमृत मिशन अंतर्गत पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु राज्यांश राशि के रूप में ₹100 प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। आवश्यक व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।